भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1560

(जिसका उत्तर 04 मार्च, 2016/14 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

एलआईसी लेखा परीक्षा

1560. डॉ॰ उदित राजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आंतरिक लेखा परीक्षा में भारत और विदेश में अनियमितताओं/धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन आरोपों की जांच करने और बही खातों के पैटर्न में बदलाव करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसे आरोप भविष्य में नहीं लगें; और

(घ) क्या सरकार स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा एलआईसी की लेखा परीक्षा करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख): आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा करता है जो कि एक अनवरत प्रक्रिया है। लेखापरीक्षा के वे परिणाम जिनमें धोखाधड़ी होती है को आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु सतर्कता विभाग अथवा विधि प्रवर्तन एजेंसियों, जैसा मामला हो, को भेजा जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की विदेश में तीन शाखाएं हैं- फिजी, मॉरीशस और युनाइटेड किंगडम प्रत्येक में एक। इन तीन शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हाल ही में कोई अनियमितताएं/धोखाधड़ियां नहीं पाई गई।

वर्ष 2014-15 से बाद की अवधि के लिए लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): इरडाई के 21 जनवरी, 2013 के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसडीडी/एमआईएससी/सीआईआर/009/01/2013 के पैरा ग के अनुरूप निगम ने निगरानी ढांचे के एक अंश के रूप में एक धोखाधड़ी रोधी नीति अनुमोदित की है। प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर बकाया धोखाधड़ी मामलों का कारोबार खंड और बंद किए गए धोखाधड़ियों के मामलों का विवरण प्रदान करते हुए विभिन्न धोखाधड़ियों के पता लगे मामलों तथा उन पर की गयी कार्रवाई के आंकड़े इरडाई के पास दर्ज किए जाते हैं।

(घ): भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25(1) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के लेखा को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लेखापरीक्षक के रूप में विधिवत रूप से अहर्क लेखापरीक्षकों द्वारा करायी जानी होती है तथा वे, सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अपनी स्थापना से, भारतीय जीवन बीमा निगम स्वतंत्र सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) तथा सांविधिक प्रभागीय लेखापरीक्षकों (एसडीए) द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

*****

Sample Only

अनुबंध

वर्ष 2014-15 से आगे की अवधि के लिए लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताओं का विवरण

जोन	**बीओ/डीओ लेखापरीक्षा रिपोर्ट**	**धोखाधड़ी की प्रकृति**
उत्तरी मध्य	लाल बग(397)/लखनऊ 2014-15	जाली रसीदों का उपयोग करते हुए निगम के धन का दुरूपयोग। जिसका योग लगभग 3,12,259/- रुपए है
उत्तरी मध्य	हल्द्धानी (24एफ), हल्द्धानी 2015-16	धोखाधड़ी वाले दावा कागजात के आधार पर मृत्यु दावा का भुगतान। निहित राशि लगभग 4,90,214.00/- रुपए
मध्य	भिलाई बीओ(381) रायपुर डीओ 2015-16	नकली एजेंसी विद्यमान होना- 10 मामले अन्य लाभ 4,58,222/- रुपए
पूर्व	मिदानपोर (466)/ खड़गपुर 2014-15	जारी मृत्यु प्रमाणपत्र पर मृत्यु दावे का निपटान राशि 3,26,020/- रुपए
पूर्व	गोलपारा (48डी) बोनगेनगांव 2014-15	बड़ी संख्या में प्लो बैंक मामले (मृत्यु दावों को पुन: देना) दर्ज किए गए जिनका योग 20,72,850/- रुपए है
पूर्वी मध्य	लक्षाहारी बीओ(52ई), बेगूसराय डीओ 2015-16	चैक को धोखे से भुनाना खाता 2 तथा 4 से लगभग राशि 46,42,716/- रुपए
पूर्वी मध्य	बाढ़ (530) बेगूसराय डीओ2015-16	चैकों को धोखे से भुनाना लगभग राशि 466421/- रुपए
पूर्वी मध्य	रामगढ़(519), हजारीबाग 2015-16	चैकों को धोखे से भुनाना लगभग राशि 10,00,000/- रुपए
दक्षिण	अरनी बीओ(73एन) वेल्लौर डीओ 2015-16	किसी कर्मचारी द्वारा पॉलिसी जमा शैड्यूल से चैकों को भुनाना लगभग राशि 3,78,440/- रुपए
दक्षिणी मध्य	जग्गाईपेट/ मच्छलीपट्टनम 2014 -15	कर्मचारी द्वारा चैकों पर अपना नाम लिख कर गलत खाता प्रविष्टियां पारित करके चैकों को धोखे से भुनाना 1485252/- रुपए
दक्षिणी मध्य	टनुकू /राजमुन्द्रे 2015-16	नकली बैंक विवरणी देते हुए अभिकर्ता द्वारा 46661/- रुपए की पॉलिसी राशि गलत तरीके से अपने खाते में जमा करायी गयी थी।

स्रोत: भारतीय जीवन बीमा निगम

Sample Only